भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 529

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 नवंबर, 2016/27 कार्तिक, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>विदेशी लेखापरीक्षा फर्मों को अनुमति प्रदान करना</u>

529. श्री फिरोज़ वरुण गांधीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय बाजार में लेखापरीक्षा फर्मों को पंजीकृत और प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों से परामर्श लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में लेखापरीक्षा सेवा क्षेत्र की शुरुआत करने के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे विदेशी लेखापरीक्षकों द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा घरेलू लेखापरीक्षकों के कार्य में बाधा न डाले और ऐसे लेखापरीक्षकों का एकाधिकार लेखापरीक्षा क्षेत्र में अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा न दे, के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): वाणिज्य विभाग, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के एक भाग के रूप में व्यावसायिक सेवाओं सहित सेवा के क्षेत्र में पारस्परिक बाजार पहुंच के लिए देश और विदेश दोनों में पक्षकारों और विशेषज्ञों के साथ नियमित रूप से परामर्श करता है। यद्यपि लेखापरीक्षा सेवाओं के संबंध में सरकार को विदेशी लेखापरीक्षा फर्मों की बाजार पहुंच हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं फिर भी भारत ने विश्व व्यापार संगठन या किसी द्विपक्षीय खुला व्यापार समझौते में लेखापरीक्षा सेवाओं के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं की है।

(ग): भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने विदेशी फर्मों के लिए लेखापरीक्षा सेवा क्षेत्र खोलने का समर्थन नहीं किया है।

(घ): उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता है।

*****